



क.रा.बी.नि
E.S.I.C

தொழிலாளர் அரக்காப்பீட்டுக்கழகம்

(தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அமைச்சகம்,
இந்திய அரசு)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



सत्यमेव जयते

மண்டல அலுவலகம்/क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office

143, ஸ்டெர்லிங் சாலை, நுங்கம்பாக்கம்,
சென்னை-600034.

143, स्टर्लिंग रोड, नुंगम्बाक्कम, चेन्नै-600034.

143, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai-600034.

Phone: 044-28306300 (100 Lines)

E-mail: rd-tamilnadu@esic.gov.in

Website: www.esic.gov.in/www.rotamilnadu.esic.gov.in

संख्या No. 51/A/22(15)/T.D(Diversion)./2023/Admn-Part(1) (E 1360399)

दिनांक Date: .10.2025

वर्ष 2025 का कार्यालय आदेश संख्या 169 (ई) OFFICE ORDER NO 169 (E) OF 2025

क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) ने निम्नलिखित अधिकारियों को अस्थायी स्थानांतरण का आदेश दिया है:

The Regional Director In charge has ordered the Temporary transfer in r/o the following official:

म सं. Sl. No.	कर्मचारी का नामपद, एवं वर्तमान तैनाती का स्थान Name, Designation and present place of posting Shri/ Smt.	अस्थायी स्थानांतरण का स्थान Place of temporary transfer	Duration
1	Subhendu prakash Halder (103513), BO-Pallavaram (under temporary transfer for SPREE)	SRO-Coimbatore	Till 31.12.2025
2	K Parameswaran (118780), RR Cell, RO-Chennai		

अधिकारियों को 07.10.2025 की दोपहर को अपने वर्तमान कर्तव्यों से मुक्त माना जाएगा और उन्हें 09.10.2025 को पूर्वाह्न में अपने तैनाती स्थल पर अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना होगा।

The officers are deemed to be relieved from their present duties on the afternoon of 10.10.2025 and should report at their order place of posting on Forenoon of 13.10.2025 without fail.

कार्यग्रहण / रिलीविंग रिपोर्ट सभी संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी (कार्यग्रहण रिपोर्ट की एक प्रति प्रति मैपिंग के लिए आईटी रोल आउट को अग्रेषित की जाएगी)। टीए/डीए नियमानुसार लागू होगा।

Joining/Relieving report shall be submitted to all concerned officers (one copy of joining report shall be forwarded to IT Roll out for Mapping). TA/DA will be applicable as per rules.

जब तक अधिकारी/कर्मचारी आदेशित तैनाती स्थान पर रिपोर्ट नहीं करते, तब तक किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

No representations whatsoever shall be entertained until the officer/ officials reports at the ordered place of posting.

उप निदेशक Dy. Director (Admn. प्रशासन)

कृते क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) For RD (I/c)

सेवा में To,
संबंधित कर्मचारी The official concerned.

Copy to:

शाखा अधिकारी, संबंधित शाखाएँ, आर.ओ., चेन्नई।

Branch Officer, Branches concerned, R.O., Chennai.

शाखा प्रबंधक, संबंधित शाखा कार्यालय

Branch Manager, Branch Office concerned

वित्तएवंलेखाF&A/रोकड़Cash Branch/ICT/ OL Branch

का.आ.O.O./भविष्यनिधिPF/ अतिरिक्तSpare